न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण कमांक रिव्यू 2763–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–1–14 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 46–दो/07.

———

प्रभा राजा पिता रघुवीर सिंह
निवासी ग्राम कमताना तहसील गुनौर
जिला पन्ना म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ——— अनावेदक

———

श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15- 6- 2015 को पारित)

.....

यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 46–दो/07 में पारित आदेश दिनांक 22.1.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत पेश किया गया है ।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम ककरा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 466 रकबा 0.58 हैक्टर एवं 467 रकबा 1.42 है0 का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 17–8–95 से किया गया । इस आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 11.6.2002 के आधार पर कलेक्टर, जिला पन्ना ने स्वमेव निगरानी में पंजीबद्ध किया और आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया । आवश्यक कार्यवाही के उपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 25.11.02 द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो आयुक्त ने आदेश दिनांक 10.10.06 द्वारा खारिज की गई । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने राजस्व मंडल में निगरानी कमांक

46–दो/07 पेश की जो आदेश दिनांक 21–1–14 से निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनरावलोकन है ।

3/ पुनरावलोकन में वर्णित तथ्यों पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि आवेदक के हित में आदेश दिनांक 17–8–95 को व्यवस्थापित की है एवं कलेक्टर पन्ना ने इस आदेश को 7 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया है जबकि संहिता की धारा 50 के तहत स्वमेव निगरानी अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय में ही किया जाना चाहिए । उन्होंने तर्क दिया कि बंटन/व्यवस्थापन के बाद आवेदक ने काफी धन एवं श्रम लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है । सिंचाई के साधन किये हैं । सात वर्ष बाद स्वमेव निगरानी में बंटन व्यवस्थापन रद्द करना न्यायसंगत नहीं है ओर इन्हीं तथ्यों पर राजस्व मंडल द्वारा आदेश दिनांक 21.1.14 पारित करते समय ध्यान न देने में भूल हुई है ।

यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक ने निगरानी मेमो में जो तर्क दिए थे और जो न्यायदृष्टांत उद्धरित किये थे उन पर विचार नहीं हो सका है, यह अभिलेख से दर्शित प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है एवं पुनरावलोकन का आधार है ।

यह तर्क भी दिया गया कि इसी प्रकार के एक अन्य प्रकरण कमांक निग0 45–दो/07 में पारित आदेश दिनांक 19.8.14 द्वारा विद्वान तत्कालीन सदस्य ने निगरानी स्वीकार की है ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में अभिलेख के विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करने में भूल की है । उक्त आधार पर उनके द्वारा आलोच्य आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित बताते हुए पुनरावलोकन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में कलेक्टर पन्ना ने आवेदक को 2.10.84 से कब्जेदार नहीं माना है और भूमि व्यवस्थापन निरस्त किया है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में अधीनस्थ

न्यायालयों के आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं हैं क्योंकि ग्राम पंचायत ने 1984 के पूर्व से कब्जा होने के संबंध में सहमति दी है । प्रकरण में इश्तहार का प्रकाशन कराया गया है जिस पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं । यदि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये तो स्थिति यह बनती है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही युक्तियुक्त अवधि में नहीं की गई है । न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 251 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 50 – जब किसी पक्षकार को बहूमूल्य अधिकार प्राप्त हो जायें तब विलंब से किया गया पुनरीक्षण अवधि बाधित है और ऐसा विलंब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है तथा धारा 50 भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गल्तियां की गई – प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण पात्र भूमिहीन को भूमि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता । इस न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय उक्त न्यायदृष्टांत पर गौर न किए जाने के कारण उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तत्कालीन सदस्य द्वारा प्रकरण कमांक निग0 45–दो/07 में पारित आदेश दिनांक 19.8.14 की प्रति पेश की गई है, जिसे विद्वान तत्कालीन सदस्य ने स्वीकार किया है उक्त प्रकरण के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्य पूर्णतः समान हैं, इस कारण भी यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य है । दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निग0 कमांक 46–दो/07 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22..1.14, आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.06 एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.02 निरस्त किए जाते हैं एवं पुनरावलोकन स्वीकार किया जाकर आवेदक के हित में ग्राम ककरा की भूमि सर्वे नंबर 486 रकबा 0.58 हैक्टर एवं 467 रकबा 1.42 हैक्टर का किया गया व्यवस्थापन यथावत रखा जाता है । तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर